

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भू-अर्जन निदेशालय

पटना, बिहार

अधिघोषणा

पत्रांक.....

दिनांक.....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- लखनपुर, थाना- मशरक, थाना नं०- 24, परगना- गोआ, जिला-सारण, छपरा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् छपरा-मोहम्मदपुर राजकीय उच्च पथ सं०- 90 के निर्माण हेतु सरकारी खर्च अर्थात् बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए ग्राम- लखनपुर में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 3.92 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं० निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा नं० :- 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 68 अंश, 69 अंश, 71 अंश, 72 अंश, 73 अंश, 86 अंश, 90 अंश, 91 अंश, 92 अंश, 94 अंश, 96 अंश, 97 अंश, 106 अंश, 107 अंश, 108 अंश, 109 अंश, 111 अंश, 112 अंश, 113 अंश, 114 अंश, 126 अंश, 127 अंश, 128 पूर्ण, 129 अंश, 132 पूर्ण, 136 अंश, 137 अंश, 138 अंश, 139 अंश, 145 अंश, 146 अंश, 147 अंश, 149 अंश, 170 अंश, 171 अंश, 172 अंश, 173 अंश, 174 अंश, 180 अंश, 182 अंश, 186 अंश, 188 अंश, 239 अंश, 251 अंश, 252 अंश, 254 अंश, 256 अंश, 257 अंश, 258 अंश तथा 259 अंश। 131 अंश

अर्जनाधीन भूमि की चौहदी

उत्तर - सिवान, मौजा राजापट्टी नं०- 303।

पूरब - खेसरा नं० 126 अंश, 137 अंश, 138 अंश, 139 अंश, 145 अंश, 146 अंश, 147 अंश, 149 अंश, 170 अंश, 169 अंश, 171 अंश, 172 अंश, 173 अंश, 174 अंश, 180 अंश, 182 अंश, 186 अंश, 188 अंश, 239 अंश, 251 अंश, 252 अंश, 254 अंश, 256 अंश, 257 अंश, 258 अंश तथा 259 अंश।

दक्षिण - सिवान, मौजा कर्णकुदरिया नं०- 4।


पश्चिम - खेसरा नं० 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 10 पूर्ण, 131 अंश, 129 अंश, 127 अंश, 126 अंश, 114 अंश, 112 अंश, 109 अंश, 107 अंश, 108 अंश, 106 अंश, 97 अंश, 96 अंश, 94 अंश, 92 अंश, 91 अंश, 90 अंश, 86 अंश, 73 अंश, 72 अंश, 71 अंश, 69 अंश तथा 68 अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पडने वाली कोयला, लोहा, स्लेटो, या अन्य खान या खनिजों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खान या खनिजों की केवल वे भाग जिन्हे कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना या उपयोग में लाना हो तो ले लिए जाएँगे।

इस अधिघोषणा को भू-अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित सन् 1984 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। जिनका इससे संबंध है।

इस भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, छपरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



समाहर्ता
सारण

६०/-

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं०-14/डी०एल०ए० सारण (पथ)-45/12-.....50...../रा० दि०-...09/...01/2012

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट शाखा, सारण को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त सारण प्रमंडल, छपरा/समाहर्ता, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।